न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—253/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/253)

1. किशनलाल पुत्र गोपालदास साधु
2. पुरूषोत्तम पुत्र गोपालदास साधु
   समस्त निवासी ग्राम सलारी, तहसील व जिला केकडी।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गोपालदास साधु, निवासी ग्राम सलारी, तहसील व जिला केकडी।
2. सीतारामदास पुत्र गोपाल जाति साधु निवासी ग्राम सलारी, तहसील व जिला केकडी।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 73/2020 (2020/00177).

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हगामीलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विनोद कुमार गौड, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पारासर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—17.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 73/2020(2020/00177) में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2/प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज कर नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए एवं इसके पश्चात् अपीलांट्स द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स संख्या 1/वादी करीब 50 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

पूर्व ही पारिवारिक समझौता के अनुसार अपीलांट्स के हक में त्याग कर आराजी का कब्जा अपीलांट्स को संभला कर केकडी में रहने लग गए व विवादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी का किसी प्रकार का हिस्सा कब्जा नहीं रहा है। अतः प्रस्तुत वाद पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर होने से निरस्त किए जाने योग्य है। इसके पश्चात पत्रावली तनकी कायम की जाकर वादी व प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 10.7.2024 से प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तुत तैयार करने हेतु ब वादी का हिस्सा अलग–अलग दर्शाए जाने हेतु आदेश दिए गए है डिक्री दिनांक 10.7.2024 को पारित की जाकर अपीलांट्स को उसके निहित खातेदारी अधिकारों से महरूम किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 73/2020(2020/00177) में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यहँ अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र मे अभिवचनो के आधार पर तनकियात कायम किए बिना साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान किए पत्रावली मे प्राथमिक डिकी पारित कर निर्णित किया गया है एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, बिना साक्ष्य लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए है, जिसकी अनुपालना मे एकपक्षीय रूप से नक्शे कुरेजात जो कि आज्ञात्मक प्रावधानो के विपरीत प्रेषित की है, पर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए एकमात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का हिस्सा पृथक रूप से दर्शाया जाकर विशिष्ठ भू भाग की आराजीयात को उसके नाम अंकन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, उक्त बाबत अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को अवगत कराए जाने पर एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 10.7.2024 के बाबत जानकारी दिए जाने पर तथा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुती हेतु विधिक सलाह दिए जाने पर विधिक जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह नहीं दर्शाया कि अपीलार्थी को आदेश की जानकारी कब हुई, नकल के लिये प्रार्थना–पत्र कब पेश किया गया और नकल की जानकारी कब हुई और उसके पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के लिये अधिवक्ता से कब मिले, इस प्रकार अपीलार्थी ने खुलासा नहीं किया है जो माननीय न्यायालय व प्रत्यर्थीगण को गुमराह कर न्याय प्राप्त करने का प्रयास किया है। अपीलार्थी द्वारा अपील में दर्शाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.07.2024 को आदेश पारित किये और माननीय न्यायालय ने दिनांक 25.10.2024 को प्रत्यर्थी सं. 2 को दिनांक 29.11.2024 के नोटिस जारी किये, लेकिन अपीलान्ट ने यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं बताया कि कितने दिन के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे वह क्षम्य कराना चाहता है। अपीलार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है व उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं कर विलम्ब क्षम्य कराना चाहता है, जो युक्ति–युक्त कारण नहीं है। अपीलार्थी ने ना तो प्रार्थना पत्र के मुख्य भाग में और ना ही प्रार्थना पत्र में यह दर्शाया है कि कितने दिन के विलंब से अपील प्रस्तुत की गई है और कितने दिन विलंब क्षम्य कराना चाहता है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–2020(3)डी0एन0जे पेज 697, 2020 डी0एन0जे0(रिवे0) पेज 129, 2022(3) डी0एन0जे0 पेज 1127.

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से पूर्व पक्षकारान के मध्य मौके पर पारिवारिक समझौते अनुसार अपीलांट के पक्ष में गत 50 वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा उक्त आराजीयात का हक त्याग किया जा चुका है व उक्त आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात के 1/2 हिस्से पर अपीलांटस बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। उक्त संदर्भ मे पत्रावली पर समस्त साक्ष्य उपलब्ध होने के उपरान्त भी तनकी संख्या 3 का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध किया जाकर उक्त तनकी को अपीलांट्स द्वारा सिद्ध नहीं कर सके है, वर्णित करते हुए प्रस्तुत वाद को डिक्री किए जाने मे त्रुटि की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित प्रकरण मे अभिवचनों के अनुसरण मे बिना तनकियात कायम किए अपीलांट के विरूद्ध बिना सुनवाई की जाकर प्रकरण को बिना दस्तावेजात को प्रदर्शित कराए, बिना साक्ष्य लिए डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर अभिवचनों के आधार पर तनकियात निर्मित किए बगैर बिना साक्ष्यो को प्रदर्श मार्क किए दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों के अभाव मे प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.7.2024 को पारित की गई है। जबकि वादी अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य वाद निस्तारण हेतु प्रदर्शित नहीं कराई गई व ना ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हुआ है। एकमात्र वाद पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर वादपत्र को डिक्री किए जाने मे त्रुटि कारित की गई है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री किया जाकर इन्हीं सहखातेदारान के नाम रहे राजस्व अभिलेख मे रहे अंकन के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात को विभाजन किए जाने के आदेश दिए गए है, जबकि राजस्व अभिलेख मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी के नाम गलत रूप से खातेदारी इन्द्राज अंकन किए हुए है, जिस बाबत प्रस्तुत जवाबदावा व साक्ष्य का अवलोकन किए बिना वाद पत्र को एकमात्र वाद में वर्णित कथनों के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2024 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 73/2020 (2020/00177) में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया कि ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त वादवर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजीयात का विधिवत बंटवारा न होने से दोनों ही पक्षों में आपस में लडाई झगडा होते रहते है तथा साथ ही साथ आराजीयात का बंटवारा नहीं होने से अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 की नियत खराब है तथा वे चूंकि वादी अधिकांशत केकडी में निवास करते है अतः वे आराजीयात के मूल्यांकन व अधिक उपजाऊ हिस्से विशेष पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अतः वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 के पैरा संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर जमाबंदी बनाई जाने हेतु निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीयात संख्या 1 से 3 वादीगण के पक्ष में तय होने से ग्राम सलारी तहसील केकडी की वादपत्र में वर्णित आराजीयात वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है। अतः तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर ग्राम सलारी के खाता संख्या नया पुराना 303–79 के कुल किता 17 कुल रकबा 6.61 है0 का विभाजन प्रस्ताव मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार कर प्रत्येक का हिस्सा अलग–अलग रंगों से दर्शित करे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया। दिनांक 14.7.2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.1.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 की तरफ से अण्डरटेकिंग पेश की गई। दिनांक 15.6.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश कर मौके व रिकार्ड अनुसार बंटवारा करने हेतु सहमति जाहिर की। दिनांक 6.12.2022 को शहादत वादी में गवाह श्री भंवरलाल पी डब्ल्यू 1 के बयान व जिरह की गई। दिनांक 18.1.2023 को शहादत वादी में गवाह पी डब्ल्यू 2 श्री गिरिराजसिंह का शपथ पत्र पेश किया। दिनांक 10.4.2023 को गवाह पी डब्ल्यू 2 श्री गिरिराज सिंह से जिरह की गई। वादी अब कोई गवाह आदि पेश नहीं करना चाहते अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। दिनांक 26.6.2024 को शहादत प्रतिवादी हेतु पूर्व में कई अवसर दिए जाने के उपरांत भी शहादत प्रतिवादी पेश नहीं किए जाने से शहादत प्रतिवादी बंद की जाती है। दिनांक 10.7.2024 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया गया व तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारान के मध्य बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेश दिए गए।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में तीन तनकीयात कायम की जाकर निर्णय किया गया जिसमें तीनों तनकीयात इस प्रकार है–

तनकी संख्या–1 आया वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 की पुश्तैनी खातेदारी आराजीयात होने से वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किए जाने का हक रखता है।

तनकी संख्या 1 में वादी द्वारा अपने पक्ष के संदर्भ में जमाबंदी प्रदर्श–1 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 प्रदर्श–3 गिरदावरी प्रस्तुत की है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है अतः वादी वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार होने से तनकीयात संख्या 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध चौसाला जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का क्रमश 1/6 व 1/2 हिस्सा निहित है व अपीलांटगण संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा अंकित है। जिससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट/वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार किया गया है। अतः तनकी संख्या 1 रेस्पोडेंट/वादी के पक्ष में तय किया जाना उचित है।

तनकी संख्या–2 आया वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

तनकीयात संख्या 2 में वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक अधिकारी के प्रश्न पर वादी द्वारा जिरह में बताया कि वादी 5–6 बीघा जमीन पर काश्त करता है परंतु वादी के पिता 25 बीघा जमीन होने व वर्तमान में वादी 1/6 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार होने से वादी उक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त करने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक अधिकारी होने से तनकीयात संख्या 2 वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

चूंकि जमाबंदी प्रदर्श–1 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 प्रदर्श–3 गिरदावरी अनुसार रेस्पोडेंट/वादी वर्तमान में 1/6 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 का निर्णय विधिवत रूप से किया गया है जो उचित है।

तनकी संख्या–3 आया वादी पारिवारिक समझौते में हक त्याग करने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा होने से वाद खारिज होने से संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व पारिवारिक समझौता व हक त्याग पत्र पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नहीं किया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सिद्ध कर सके। अतः तनकीयात संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय की जाती है।

वादीगण द्वारा अपने उक्त वाद में यह कथन किया गया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा वाद पत्र से पूर्व पक्षकारान के मध्य मौके पर पारिवारिक समझौते अनुसार अपीलांट के पक्ष में गत 50 वर्ष पूर्व ही रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी द्वारा उक्त आराजीयात का हक त्याग किया जा चुका है। परंतु हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के गहन अवलोकन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि अपीलांट द्वारा कहे गए कथन मौखिक मात्र है चूंकि पत्रावली पर हक त्याग बाबत कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी अपना हक त्याग कर चुके है क्यों कि चौसाला जमाबंदी संवत 2069–2072 के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी वर्तमान में 1/6 हिस्से की आराजीयात पर रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 का निर्णय उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विधिक रूप से किया गया है जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर ग्राम सलारी के खाता संख्या नया–पुराना 303–79 के कुल किता 17, कुल रकबा 6.61 है0 का विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तैयार करने बाबत निर्देश दिए जो विधिक प्रक्रिया के अनुसार उचित है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में तनकी कायम कर व प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 73/2020(2020/00177) में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

17/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

.Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

गोपाल पुत्र श्री गोगा जाति धोबी निवासी ग्राम कुरथल,तहसील भिनाय,जिला अजमेर व अन्य।

बनाम

महादेव पुत्र श्री रामकुमार जाति नायक निवासी इन्द्रपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर व अन्य।

(अपील सख्या 30/2023 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर मुबर्खे 02 माह 11 सन् 2022, प्रकरण संख्या 57/2015 बउनवानी रतनी बनाम महादेव वगै)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राज0काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 08 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट,श्री गौतम टांक अभिभाषक रेस्पों संख्या 01,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 02,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2015 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 02.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 08 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोंडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनागा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

Scanned with CamScanner